

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, भोपाल-462004
ई-मेल affil-he@mp.gov.in दूरभाष क्रमांक- 2554763


//आदेश//

भोपाल, दिनांक- 28/12/2020.

क्रमांक- 2145 /466/आउशि/सम्बद्धता/20 : राज्य शासन एतद् द्वारा सत्र 2020-21 के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली की याचिका क्रमांक (सिविल) 276/12 में पारित निर्णय दिनांक 13.12.2013 के परिपालन में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) के पाठ्यक्रमों बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड., एवं बी.एड.एम.एड. (एकीकृत तीन वर्षीय) तथा बी.ए.बी.एड., बी.एस.सी.बी.एड., बी.एल.एड., में प्रवेश के लिये ऑन लाईन काउन्सिलिंग का चतुर्थ अतिरिक्त चरण दिनांक 31.12.2020 से 12.01.2021 तक निम्नानुसार आयोजित किया जाता है :-

क्र	कार्य का विवरण	निर्धारित तिथियाँ	
		दिनांक से	दिनांक तक
	चतुर्थ अतिरिक्त चरण		
1.	(अ) तृतीय अतिरिक्त चरण पश्चात् रिक्त स्थानों को (महाविद्यालयवार/पाठ्यक्रमवार) पोर्टल पर प्रदर्शित करना।	31/12/2020	-
	(ब) नवीन पंजीयन (ऐसे आवेदक जो पूर्व में प्रवेश हेतु पंजीयन नहीं करा सके हैं, वे पंजीयन कर अतिरिक्त चरण में रिक्त स्थानों पर प्रवेश आवंटन हेतु गुणानुक्रम अनुसार पात्र होंगे)।	31/12/2020	03/01/2021
	(स) चतुर्थ अतिरिक्त चरण में आवंटन हेतु पंजीकृत अप्रवेशित एवं नवीन पंजीकृत आवेदकों से पुनः शिक्षण संस्थाओं का घयन/वरीयता प्राप्त करना।	31/12/2020	04/01/2021
2.	आवेदक के दस्तावेजों का सत्यापन	31/12/2020	04/01/2021
3.	नवीन पंजीकृत आवेदकों का बी.पी.एड. एवं एम.पी.एड. हेतु कगस: फिटनेस, प्रोफिसिएन्सी टेस्ट (निर्धारित हेल्प सेंटर पर) तथा अंकों को पोर्टल पर अपलोड करना	31/12/2020	04/01/2021
4.	समेकित मेरिट सूची का प्रकाशन।	05/01/2021 (अपरान्ह 06:00 बजे)	
5.	मेरिट एवं वरीयता अनुसार अतिरिक्त चरण में सीट आवंटन।	09/01/2021	
6.	आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु शुल्क भुगतान की रसीद एवं वृद्धास्थिति टी.सी./माइग्रेशन प्रस्तुत करना।	09/01/2021	12/01/2021

शेष नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगे।


(चन्द्रशेखर वालिम्बे)
अपर आयुक्त (प्रशासन)
उच्च शिक्षा, म.प्र.

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुरा भवन, भोपाल-462004

//आदेश //

भोपाल, दिनांक 23/12/2020

क्रमांक 1167/342/आउशि/शा-5अ/2020 : मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 949/2020/सीसी/2020/अडतीर, दिनांक 31.07.2020, क्रमांक 425/सीसी/2020/38, दिनांक 25.08.2020 एवं आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय के पत्र क्रमांक 785/207/आउशि/शा.5अ/2020 भोपाल, दिनांक 07.10.2020, क्रमांक 906/207/आउशि/शा.5अ/2020 भोपाल, दिनांक 28.10.2020 एवं क्रमांक 980/207/आउशि/शा.5अ/2020 भोपाल, दिनांक 12.11.2020 के तहत शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर हेतु समय-सारणी जारी की गई थी।

सत्र 2020-21 में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु दिनांक 30.12.2020 से 05.01.2021 तक सी.एल.सी. षष्ठ चरण हेतु निम्नानुसार समय-सारणी जारी की जाती है।

ऑनलाइन ई-प्रवेश समय-सारणी : सत्र : 2020-21

(epravesh.mponline.gov.in)

क्र.सं.	कार्य का विवरण	स्नातक (प्रथम वर्ष)		स्नातकोत्तर (प्रथम सेमेस्टर)	
		दिनांक से	दिनांक तक	दिनांक से	दिनांक तक
सी.एल.सी. षष्ठ चरण					
1	महाविद्यालयों में सी.एल.सी. षष्ठ चरण के पर्याप्त (CLC) पथन करण हेतु पोर्टल को सर्वेक्षणों का महाविद्यालयवार/पाठ्यक्रमवार पोर्टल पर अपडेटिंग प्रदर्शित करना।	30/12/2020	-	30/12/2020	-
2	(अ) अपडेटिंग आवेदकों हेतु ऑनलाइन पंजीयन।	30/12/2020	31/12/2020	30/12/2020	31/12/2020
	(ब) आवेदन पत्र एवं दस्तावेजों का सत्यापन किसी भी शासकीय महाविद्यालय के हेल्प सेंटर से करना।	30/12/2020	02/01/2021	30/12/2020	02/01/2021
3	(अ) महाविद्यालय/पाठ्यक्रम/विषय-समूह का निर्धारित प्रारूप में पृथक-पृथक महाविद्यालय में विकल्प देना। (समय: 10:30 से 01:30 बजे तक)	04/01/2021	-	04/01/2021	-
	(ब) महाविद्यालय द्वारा सी.एल.सी. चरण की मेरिट सूची जारी करना। (समय: 09:00 बजे)	04/01/2021	-	04/01/2021	-
	(ग) ऑनलाइन महाविद्यालयों में पोर्टल के माध्यम से डिजिटली ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करना।	04/01/2021	05/01/2021	04/01/2021	05/01/2021
	(घ) ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया से मुक्त महाविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रेषित विद्यार्थियों की पोर्टल पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना।	30/12/2020	05/01/2021	30/12/2020	05/01/2021

- ♦ उपरोक्त समय सारणी अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग (प्राथमरी/मिडिल स्कूल) में कार्यरत शिक्षक केवल शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वन-स्टेप-अप योजनातर्गत पंजीयन तथा सत्यापन करारकर विभागीय अनपत्ति प्रमाण-पत्र के साथ प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेंगे।

(चन्द्रशेखर बोलिम्बे)

अपर आयुक्त

उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश

निरन्तर.....2.....